प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15.09.2020

एक मादक पदार्थ तस्कर/टॉप-10 अपराधी 25.150 किग्रा गांजा, एक ऑल्टो कार एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना खुर्जादेहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष खुर्जादेहात श्री आनन्दवीर सिंह के नेतृत्व में दिनांक 14.09.20 को उ0नि0 रामऔतार सिंह मय फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति-व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि अगवाल पुल से पहले धरपा मोड़ के सामने बुलंदशहर की तरफ जाने वाले हाईवे पर चैकिंग कर रहे थे। तभी जरिए मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति मारुति आल्टो कार से खुर्जा की तरफ से आ रहा है जिसके पास मादक पदार्थ (गांजा) व नाजायज अवैध असलाह है। इस सूचना पर पुलिस टीम सघनता से चैकिंग करने लगी कि खुर्जा की तरफ से एक कार आती दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो कार चालक तेजी से कार पीछे मोड़ने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गाडी में सवार एक मादक पदार्थ तस्कर को समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त गाड़ी को चैक किया गया तो गाडी 25.150 किग्रा मादक पदार्थ(गांजा) बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. विपिन कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी सलेमपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 25.150 किग्रा गांजा

2- एक मारूति ऑल्टो कार नं0 यूपी-78बीबी-8738

3- 01 तंमचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का मादक पदार्थ तस्कर है जो अपनी ऑल्टो कार से गांजा की खैर(अलीगढ़) से तस्करी कर दादरी(गौतमबुद्धनगर) बेचने के लिए जा रहा था। अभियुक्त गांजा की तस्करी कर आस-पास क्षेत्रों में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। अभियुक्त विपिन थाना सलेमपुर का टॉप-10 अपराधी भी है जो पूर्व में अवैध शराब की तस्करी के कई मामलों में जेल जा चुका है जिसके विरूद्ध अवैध शराब की तस्करी आदि अपराधों के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त विपिन का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-263/15 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

2 मुअसं-12/16 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-126/16 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-01/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं-87/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

6- मुअसं-206/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

7- मुअसं-82/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

8- मुअसं-115/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

9- मुअसं-197/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

10- मुअसं-214/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

11- मुअसं-290/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

12- मुअसं-52/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

13- मुअसं-179/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना खुर्जादेहात पर मुअसं-322/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मुअसं-323/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री आनन्दवीर सिंह थानाध्यक्ष खुर्जा देहात।

2- उ0नि0 रामऔतार सिंह, उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 सुमित कुमार।

3- का0 सन्नी राणा, का0 योगेन्द्र कुमार, का0 चालक सतीश खोखर।